

दि. २१/१६

शिवान स्वामीशाम वनाप्र पदमाशाम

अहकार
हुम की
में जारी हु

फावली पेडा हुई
वादी अधिवक्ता एवं वादी में से कोई उपस्थित नहीं
आज अदालत समय में रुक-रुक करतीन कार
आवाजे मिलवाने जाने के बावजूद बाद एवं
उनके अधिवक्ता में से किसी के उपस्थित नहीं
होने पर बाद अदालत आदेश १ नियम २ व
आदेश १ नियम ३ CPC के तहत अदम हाजरी एवं
अदम पेशी में स्वार्थित किया जाता है।
फावली फैसला सुनार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O) शिव

